जनपद - संतकबीरनगर　　　　　　　　प्रेस विज्ञप्ति　　　　　　　　दिनाँक 30.04.2025

दबिश के दौरान 03 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में-

थाना दुधारा पुलिस द्वारा गिरफ्तार वारण्टी का नाम पता 01. हफीज अब्दुल पुत्र मुर्तजा हुसैन निवासी विगरामीर थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर, 02. सोएब उर्फ पावा पुत्र बैतुल्लाह कुरैशी निवासी बढयामाफी थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री राजेश कुमार दूबे, हे0का0 अनिल मिश्रा।

थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा गिरफ्तार वारण्टी का नाम पता कोमल पुत्र रामअचल निवासी भरवलिया पाण्डेय थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री रामाश्रय प्रसाद, हे0का० मुरली मनोहर।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 11 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 03 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

थाना महुली पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 03 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

थाना बखिरा पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

थाना दुधारा पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 3306 द्वारा मारपीट/ विवाद में घायल 03 व्यक्तियों को भेजवाया गया अस्पताल - थाना दुधारा क्षेत्रांतर्गत सुघरा माफी से कालर द्वारा विवाद/मारपीट में घायल 03 व्यक्तियों (01. शिवमूरत पुत्र रतिपाल 02. भीम पुत्र शिवमूरत 03. ज्ञानमति पत्नी शिवमूरत निवासीगण ग्राम सुघरा माफी थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर) के सम्बन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा त्वरित गति से घटनास्थल पर पहुँचकर मारपीट में घायल व्यक्तियों को ईलाज हेतु 108 एम्बुलेंस की सहायता से सीएचसी सेमरियावाँ भेजवाया गया। घटना के सम्बन्ध में थाना दुधारा को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियो की सतर्कता व सूझबूझ से घटनास्थल पर तत्परता से पहुँचकर घायल व्यक्तियो को ईलाज हेतु सीएचसी सेमरियावाँ भेजवाया गया। जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी।

पीआरवी स्टाफ- आ0 सूरज भारती, हो0चा0 जय प्रकाश।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 67 वाहनों से 65,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 30.04.2025 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 67 वाहनों से 65,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

थाना बखिरा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए दुष्कर्म के मामले में वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

जनपद में ***मिशन शक्ति अभियान*** के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी मेंहदावल ***श्री सर्वदवन सिंह*** के निकट पर्यवेक्षण में थाना बखिरा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 151/2025 धारा 69 बीएनएस के मामले मे वांछित अभियुक्त सुनील कुमार चौहान पुत्र रामसुभग निवासी पटवरिया थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि उक्त अभियुक्त द्वारा वादिनी के साथ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के संबंध में वादिनी द्वारा थाना बखिरा पर दिनांक 28.04.2025 को अभियोग पंजीकृत कराया गया था। महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए थाना बखिरा पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए आज दिनांक 30.04.2025 को उक्त आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री सुरेश यादव, हे0का0 कोमल प्रसाद।